<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

05.02.2026

एनसीएलटी ने एल्केमिस्ट समूह मामले में सीआईआरपी को वापस लिया; ईडी के हस्तक्षेप से दिवालियापन प्रक्रिया का इस्तेमाल अपराध की आय को शोधित करने से रोका गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से मेसर्स अल्केमिस्ट लिमिटेड के विरुद्ध प्रारंभ की गई कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को वापस ले लिया, यह मानते हुए कि दिवालियापन की कार्यवाही धोखाधड़ी, मिलीभगत और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दूषित थी।

माननीय एनसीएलटी ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 65 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर कहा है कि दिवालियापन फ्रेमवर्क का दुरुपयोग अपराध की आय को वैध बनाने या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही को रोकने के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है।

मामले में ईडी की जांच का संक्षिप्त विवरण

ईडी ने कोलकाता पुलिस और उप्र पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मेसर्स एल्केमिस्ट लिमिटेड के विरुद्ध जांच शुरू की। पीएमएलए की जांच में पता चला कि एल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने निवेशकों/पीड़ितों को ऊंचे रिटर्न/प्लॉट/विला/फ्लैट देने के बहाने आम जनता से 1840 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किए थे, लेकिन न तो प्लॉट/विला/फ्लैट/ऊंचे रिटर्न दिए गए और न ही निवेशकों को पैसे वापस किए गए। रकम को अंतरकम्पनी जमा (आईसीडी) के रूप में एल्केमिस्ट समूह की दूसरी समूह कंपनियों, जिसमें मेसर्स एल्केमिस्ट लिमिटेड भी शामिल है, में ट्रांसफर कर दिया गया था।

ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एल्केमिस्ट लिमिटेड व अन्य के विरुद्ध 02.03.2021 को एक अभियोजन शिकायत तथा 19.07.2024 व 11.09.2025 को पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की है। ईडी ने सात (07) अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 492.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आईबीसी की कार्यवाही व ईडी का हस्तक्षेप

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स साई टेक मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स एल्केमिस्ट लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आईबीसी की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर की थी। इसके बाद, लेनदारों की कमेटी (सीओसी) बनाई गई, जिसमें लगभग पूरी तरह से एल्केमिस्ट ग्रुप की ही कंपनियाँ थीं और मेसर्स टेक्नोलॉजी पार्क्स लिमिटेड के पास लगभग 97% वोटिंग अधिकार थे। ईडी ने उक्त माननीय अधिकरण के सामने विस्तृत सबूत पेश किए, जिनसे यह साबित होता है कि:

a) सीओसी की मुख्य सदस्य समूह कंपनियाँ थीं जिन पर धन-शोधन का आरोप था और जो अपराध से मिले पैसे की लाभार्थी थीं, जिनमें मेसर्स टेक्नोलॉजी पार्क्स लिमिटेड (वोटिंग शेयर 97%), मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड (वोटिंग शेयर 1.74%) और मेसर्स एल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड (वोटिंग शेयर 0.61%) शामिल हैं। यह भी बताया गया कि उपर्युक्त कंपनियाँ इस मामले में अपराध से मिले पैसे की प्राप्तकर्ता हैं और ईडी द्वारा दायर शिकायत में उन्हें आरोपी बनाया गया है।

b) दिवालियापन प्रक्रिया का इस्तेमाल कुर्क संपत्तियों को वापस पाने और आईबीसी की धारा 32ए के तहत प्रतिरक्षा पाने के लिए एक उपाय के तौर पर किया जा रहा था।

c) एल्केमिस्ट समूह के एक पूर्व कर्मचारी श्री गौरव मिश्रा को समाधान पेशेवर (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) नियुक्त किया गया था, जिससे स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।र नहीं

d) माननीय एनसीएलटी के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, ईडी को जानबूझकर समय पर पक्षका बनाया गया, जो गलत इरादे को दिखाता है।

माननीय एनसीएलटी के मुख्य निष्कर्ष

ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए, माननीय एनसीएलटी ने कहा कि:

- आईबीसी एक लाभदायक कानून है जो वास्तविक समाधान के लिए है, न कि दागदार लेन-देन को शोधित करने या अपराध की आय को शोधित करने का तरीका।
- आईबीसी की धारा 32ए का इस्तेमाल आपराधिक दायित्व खत्म करने या पीएमएलए के तहत कार्रवाई को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।
- आरोपी कंपनियों के समूह के दबदबे वाली सीआईआरपी, सीओसी की स्वतंत्रता व कमर्शियल समझ को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।
- ऐसे सीआईआरपी को जारी रखने की इजाज़त देने से अपराध की आय को कानूनी मान्यता मिलेगी, पीएमएलए कुर्की कम होंगी, और दिवालियापन प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।
- इस मामले में दिवालियापन प्रक्रिया धोखाधड़ी और गलत इरादे से शुरू और चलाया गया था, जो सीधे आईबीसी की धारा 65 के तहत आता है।
- इस तथ्य में कोई मतभेद नहीं है कि आईबीसी और पीएमएमए अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं और उपयुक्त मामलों में, समानांतर चल सकते हैं। हालाँकि, समानांतर संचालन के सिद्धांत को इतना विस्तार नहीं दिया जा सकता कि एक अधिनियम का दुरुपयोग करके दूसरे अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल कर दिया जाए।

उक्त माननीय अधिकरण ने सीआईआरपी को वापस ले लिया, आईबीसी, 2016 की धारा14 के तहत घोषित रोक हटा दी और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के बाद रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। कानून की प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करने पर, कोर्ट ने ऑपरेशनल क्रेडिटर, साई टेक मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

माननीय एनसीएलटी का आदेश इस स्थापित कानूनी स्थिति की पुनः पुष्टि करता है कि पीएमएलए की कार्यवाही और दिवालियापन की कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं और दिवालियापन ढाँचे का दुरुपयोग करके आपराधिक कानून, जब्ती या निवेशकों को धन वापस दिलाने की प्रक्रिया को विफल नहीं किया जा सकता।